



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092022-238975
CG-DL-E-21092022-238975

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4183]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944

No. 4183]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

का.आ. 4367(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 78(अ) दिनांक 04 फरवरी, 1999 द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के किमी 0.000 से किमी 592.000 (बंगलुरु से कर्नाटक / महाराष्ट्र सीमा खंड) तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को (जिसे इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) सौंपा है;

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् “नियम” कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना का. आ. 697(अ) दिनांक 06.04.2011 का अतिक्रमण करते हुए कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (पुराना एनएच-4) के चित्रदुर्ग बाईपास मौजूदा चेनेज किमी 189.000 से किमी. 260,000 (डिजाइन श्रृंखला किमी 0.000 से किमी. 20.700 और किमी 208.000 से किमी 260,000) सहित चित्रदुर्ग-दावणगेरे को छह लेन बनाने हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर सड़क खंड की निवल लंबाई 44.734 कि.मी. और 2.68 किमी(जिनकी लंबाई 0.268 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ(2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100% पर तथा बाइपासों जिनकी लम्बाई 27.698 किमी है और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है, के उपयोग हेतु नीचे सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना पर से एतद्वारा शुल्क की वसूली करती है एवं प्राधिकरण को अपने

अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृष्ट एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा अर्थात् :

सारणी 2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
कर्नाटक के दावणगेरे जिले में हेब्बालू गांव के पास NH-48 (पुराना NH-4) का डिजाइन / मौजूदा चैनेज 237.645 पर	44.734 किमी [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़ कर]	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास, जिनकी लागत 10 करोड़ रुपये अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लंबाई हेतु, शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी 3					
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	पर शुरू होकर	पर मिलते हुए	बाइपास की लंबाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है

				लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
कर्नाटक के दावणगेरे जिले में हेब्बालू गांव के पास NH- 48 (पुराना NH-4) का डिजाइन / मौजूदा चेनेज 237.645 पर	चित्रदुर्ग बाईपास	डिजाइन चेनेज किमी 0.000(मौजूदा चेनेज किमी 189.000)	डिजाइन चेनेज किमी 20.700 (मौजूदा चेनेज किमी 208.000)	20.498	608	ऊपर सारिणी 1- में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	भरमासागर बाईपास	227.200	229.400	2.2	64.61	
	दावणगेरे बाईपास	255.000	260.000	5.0	146.80	
कुल				27.698 किमी		

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी 4			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
कर्नाटक के दावणगेरे जिले में हेब्बालू गांव के पास NH-48 (पुराना NH-4) का डिजाइन / मौजूदा चेनेज 237.645 पर	0.268	2.680	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100 %

* 60 मीटर से अधिक लंबाई की संरचनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	60 मीटर से अधिक लंबाई की संरचनाएं			
	संरचना का अवस्थान (चेनेज किमी)			लंबाई(किमी में)
	से किमी	तक किमी	संरचना का प्रकार	
1	6.906	7.036	आरओबी	0.130
2	13.814	13.886	इंटरचेंज	0.072
3	210.621	210.687	बड़ा पुल	0.066
60 मी से अधिक संरचना की कुल लंबाई				0.268

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक

तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत **2153.73 करोड़ रुपए** है। (पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं और अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा)। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू-सीटीए/6-लेनिंग/सीटीए-डीवीजी/2021-22/10/1628 दिनांक:26-10-2021

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2022

S.O. 4367(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 78(E), dated 4th February 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1998), the Central Government has entrusted the stretch from Km 0.000 to Km 592.000 (Bangalore to Karnataka/Maharashtra Border section) of National Highway 4 in the state of Karnataka to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”) and in supersession of the notification bearing S.O. 697(E) dated 06.04.2011, the Central Government hereby levies the fee on mechanical Vehicle at 100% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 44.734 Km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 2.68 km (having length of 0.268 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 27.698 Km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below of Six laning of Chitradurga- Davanagere including Chitradurga Bypass from Existing Chainage Km. 189.000 to Km. 260.000 (Design Chainage Km. 0.000 to Km. 20.700 & Km. 208.000 to Km. 260.000) of NH-48 (Old NH-4) in the State of Karnataka and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

- The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s):-

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design/Existing Ch. 237.645 of NH-48 (Old NH-4) Near Hebbalu Village in Davanagere District of Karnataka	44.734 km [Excluding length of Bypass (costing > 10 Cr.) And length of structures (>60m)]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s):

Table 3						
Location of Fee Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Taking off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design/Existing Ch. 237.645 of NH-48 (Old NH-4) Near Hebbalu Village in Davanagere District of Karnataka	Chitradurga Bypass	Design Ch. Km 0.000 (Existing Ch. Km 189.000)	Design Ch. Km 20.700 (Existing Ch. Km 208.000)	20.498	608	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Bharmasagara Bypass	227.200	229.400	2.2	64.61	
	Devangere Bypass	255.000	260.000	5.0	146.80	
Total				27.698Km		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by equalization factor of 10 :-

Table 4			
Location of Fee Plaza(s) (Chainage)	Length of Structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design/Existing Ch. 237.645 of NH-48 (Old NH-4) Near Hebbalu Village in Davanagere District of Karnataka	0.268	2.680	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

* Details of structures having length more than 60m are as under:

S. No.	Structures having length more than 60 m			
	Location of Structure (Chainage Km)			Length (in Km.)
	From	To	Type of Structure	
1.	6.906	7.036	ROB	0.130
2.	13.814	13.886	Interchange	0.072
3.	210.621	210.687	Major Bridge	0.066
Total Structure length >60m				0.268

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 315/- (Rupees Three Hundred and Fifteen only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub rule 1A of Rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

10. Based on the Base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 2153.73 Crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/PIU-CTA/6-Laning/CTA-DVG/2021-22/10/1628 Date: 26-10-2021]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.